

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2023

जयपुर, दिनांक : 01.11.2023

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 18157/2022 में मा. न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 06.12.2022 को दृष्टिगत रखते हुए डा. नवनीत शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को अग्रिम आदेशों तक सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ के कार्यालय की आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निमिषा गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं पंचायती
राज (चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. जिला कलक्टर, हनुमानगढ
4. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राज.
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/उप जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट अस्पताल, राज.
8. कोषाधिकारी, हनुमानगढ
9. संबंधित अधिकारी
10. कम्प्यूटर सेल

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
5001230



Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.11.01 15:41:56 IST
Reason: Approved